न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्र. /2016 निगरानी 7216-I-16

सुरेन्द्र कुमार तनय श्री बैजनाथ पटेल निवासी ग्राम खजवा तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र. ....**अपीलार्थी**

विरूद्ध

म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ऑफ जिला छतरपुर म.प्र.

............**प्रतिअपीलार्थी**

<u>अपील भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 56 (4) के तहत पारित क्रमांक 733/जि.पं./2016 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2016 के विरूद्ध</u> निगरानी।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से यह अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

1. यहकि, अपीलार्थी द्वारा भारतीय स्टाम्प पेपर रूपये 72,500/-दिनांक 01.06.2015 को क्रय किये थे किन्तु रजिस्ट्री नहीं हो पाई इसीलिये अपीलार्थी ने दिनांक 24.06.2015 को अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प छतरपुर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रूपये रिफंड करने हेतु दिया गया जिस पर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुये प्रकरण क्रमांक 25/सी/132/2015-16 दर्ज किया गया जिस पर से न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुये भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 49 एव 50 के तहत निष्पादित स्टाम्प दस्तावेज रिंफंड किये जाने की समय सीमा 2 माह से अधिक पाई गई, अतः समय सीमा के बहार होने के कारण उक्त मूल स्टाम्प अपीलार्थी को वांपस किये गये जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर से अपर आयुक्त सागर संभाग सागर केम्प छतरपुर द्वारा आवेदन 61 बी विविध/बी/105/2015-16 दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 27.08.2016 से अपीलार्थी को हुये बिलम्ब मात्र 24 दिन माफ करते हुये रजिस्ट्री हेतु क्रय किये गये स्टाम्प पेपर रूपये 72,500/- की राशि नियमानुसार रिफंड किये जाने के आदेश दिये गये परन्तु कलेक्टर ऑफ स्टाम्फ द्वारा पत्र क्रमांक 733/जि.पं./2016 आदेश दिनांक

सुरेन्द्र कुमार पटेल

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निगरानी–7216–एक/16 **जिला** – छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–11–17	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 733/जि0पं0/2016 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2016 के विरुद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम (जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 56–4 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा भरतकुमार पटेल से भूमि खसरा नं 3095/1 रकवा 0.340 हे. कृय करने का सौदा हुआ था। इस हेतु आवेदक के द्वारा 72,500/– रुपये के स्टाम्प दिनांक 01.06.2015 को कय किये गये थे, परंतु भूमि मालिक भरत पटेल के नाम सही नामांतरण न होने से भूमि का विकय–पत्र नहीं हो सका है। इस कारण आवेदक द्वारा कय किये गए स्टाम्प कुल कीमत 72500/– रुपये की राशि उसे वापिस की जाए। इस आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने आदेश दिनांक 08.03.2016 द्वारा यह मानते हुए कि स्टाम्प अधिनियम की धारा 49, 50 के तहत रिफण्ड की सीमा 2 माह नियत है और आवेदक द्वारा समय–सीमा के बाद आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदक का आवेदन निरस्त किया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर के न्यायालय में अभ्यावेदन पेश किया गया, जिसमें उन्होंने दिनांक 27.08.2016 को आदेश पारित करते हुए आवेदन प्रस्तुत करने में हुए 24 दिन के विलंब को माफ करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को आवेदक द्वारा कय किए गए स्टाम्प की राशि नियमानुसार वितरण	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा... आदि के हस्ताक्षर
	करने के आदेश दिए। इस आदेश के उपरांत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने आलोच्य पत्र द्वारा ये मानते हुए कि स्टाम्प रिफण्ड करने हेतु सुनवाई का अधिकार आयुक्त न्यायालय को नहीं है। आवेदक को समझाइश दी है कि वह राजस्व मण्डल न्यायालय में स्टाम्प वापिसी हेतु अपील/निगरानी करे। इसके विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वरिष्ठ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा जो आदेश पारित किया गया था, उसका पालन कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को करना चाहिए था। वरिष्ठ न्यायालय के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। यदि वे उक्त आदेश से व्यथित थे उन्हें वरिष्ठ न्यायालय में उसको चुनौती देना चाहिए थी। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि अपरिहार्य कारणों से विक्रय–पत्र संपादित नहीं कराया जा सकता। अतः आवेदक को स्टाम्प रिफण्ड की राशि वापिस करने के आदेश दिए जाने का निवेदन किया गया है। 4/ अनावेदक शासन की ओर से लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा 49 एवं 50 के तहत स्टाम्प रिफण्ड करने हेतु दो माह की समय सीमा निर्धारित है, जबकि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि के बाद प्रस्तुत किया गया है। अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है। 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा जो प्रश्नाधीन स्टाम्प दिनांक 01.06.2015 को क्रय	

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निगरानी–7216–एक/16 **जिला** – छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	किये गए थे, परंतु विक्रय पत्र का पंजीयन न हो पाने के कारण आवेदक द्वारा क्रय की गई स्टाम्प की राशि रिफण्ड करने हेतु आवेदन दिनांक 24.08.2015 को प्रस्तुत किया गया है। स्टाम्प एक्ट की धारा 49 एवं 50 के तहत स्टाम्प की राशि रिफण्ड करने हेतु दो माह की समयावधि में आवेदन दिया जाना आवश्यक है जबकि इस प्रकरण में आवेदक द्वारा आवेदन निर्धारित समयावधि के बाद प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष जो निगरानी प्रस्तुत की गई है, उसमें कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष आवेदन निर्धारित दो माह की समयावधि में क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया, इस संबंध में कोई कारण नहीं दर्शाये गए हैं और ना ही तर्कों में ऐसा कोई उल्लेख किया गया है। दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदक का आवेदन स्टाम्प अधिनियम की धारा 49, 50 के विहित 2 माह की अवधि में रिफण्ड हेतु आवेदन प्रस्तुत न किये जाने के कारण निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों, अभिलेख वापिस हों। प्रशासकीय सदस्य	